# चौथा अध्याय : निर्माण व्यय
# भाग–कः समीक्षाएँ

## लोक निर्माण विभाग

### 4.1 लोक निर्माण विभाग की एकीकृत लेखा परीक्षा

*4.1.1 विशेषताएँ*

*विभाग ने मार्च 2001 तक 35082 कि.मी. सड़क, 9.30 लाख एवं 28.89 लाख वर्ग मीटर आवासीय एवं कार्यालय भवनों का निर्माण किया था । 19607 ग्रामों में से केवल 7805 ग्रामों को सड़कों से जोड़ा गया । सड़कों एवं भवनों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे । राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा मार्च 2002 तक 33 सड़कों एवं 62 पुलों का निर्माण पूर्ण करने हेतु 73.14 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया था जिसमें से 18 सड़कें एवं 44 पुल पूर्ण किये गये थे। 1999–2002 के दौरान अतिशेष अमले पर 9.61 करोड़ रूपये का व्यय हुआ और विभागीय संयंत्र एवं मषीनरी का उपयोग 30 प्रतिषत से कम होने के परिणामस्वरूप 1.51 करोड़ रूपये की राजस्व हानि हुई ।*

– 2001–2002 के दौरान 37 प्रतिषत से अधिक आयोजनागत आवंटन अप्रयुक्त रह गया । 1998–2002 के दौरान 9 संभागों में जारी साखपत्र से 3.38 करोड़ रूपये अधिक के धनादेश जारी किये गये । आवंटन को व्यपगत होने से बचाने के लिए 9.29 करोड़ रूपये सिविल जमा में रखे गये थे ।

*( कंडिका 4.1.6)*

– प्राप्तकर्त्ता संभागों के लेखाओं में 17.61 करोड़ रूपये के शेष सम्मिलित नहीं किये थे। 10 संभागों में महालेखाकार द्वारा जारी समायोजन ज्ञापन एवं 26.08 करोड़ रूपये के विविध लोक निर्माण अग्रिम लंबित थे । संबंधित एजेंसियों से निक्षेपसे 6.22 करोड़ रूपये के अधिक व्यय की वसूली नहीं की गई थी ।

*(कंडिका 4.1.7)*

– प्रषासकीय अनुमोदन (प्र अ) के बिना 6.59 करोड़ रूपये के 5 कार्य लिये गये । 27 कार्यों पर व्यय प्रषासकीय अनुमोदन से 5.69 करोड़ रूपये अधिक था जिसमें से 19 कार्य 3.56 करोड़ रूपये की आवश्यकता के कारण अपूर्ण थे ।

*(कंडिका 4.1.9 (i)एवं (ii))*

– विभाग ने 66.90 करोड़ रूपये के व्यय के विरूद्ध, नाबार्ड से प्रतिपूर्ति हेतु 57.08 करोड़ रूपये का दावा किया एवं केवल 41.41 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति की गई ।

*(कंडिका 4.1.14)*

– **नमूना जांच में 3.96 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत, 3.17 करोड़ रूपये का अवमानक कार्य, 1.33 करोड़ रूपये की अनधिकृत सहायता, 5.70 करोड़ रूपये का अनियमित भुगतान, 50.32 लाख रूपये की लंबित वसूलियॉं, 6.07 लाख रूपये का गबन एवं 1.13 करोड़ रूपये की निष्क्रिय पड़ी सामग्री भी परिलक्षित हुई।**

***(कंडिका 4.1.9(iv)से (ix), 4.1.10 एवं 4.1.12)***

### *4.1.2 प्रस्तावना*

1 नवम्बर,2000 को मध्यप्रदेष के पुनर्गठन पर छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया एवं इसमें 135 हजार वर्ग कि.मी. से अधिक क्षेत्रफल और 176.15 लाख की जनसंख्या (जनगणना 1991) वाले 16 राजस्व जिले है। सड़कों, पुलों, भवनों के निर्माण एवं उनकी मरम्मत एवं रख–रखाव का दायित्व लोक निर्माण विभाग का है ।

मार्च 2001 की स्थिति के अनुसार राज्य में सड़क की कुल लम्बाई 35082 कि.मी. (24202 कि.मी. पक्की एवं 10880 कि.मी. कच्ची) थी । प्रति 100 वर्ग कि. मी. 42.40 कि. मी. एवं 32.50 कि. मी. के राष्ट्रीय औसत के विरूद्ध पक्की एवं कच्ची सड़कों का सड़क घनत्व क्रमशः प्रति 100 वर्ग कि. मी., 17. 75 कि. मी. एवं 8.41 कि. मी. था ।

विभाग क्रमशः 9.30 एवं 28.89 लाख वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र के आवासीय एवं कार्यालयीन भवनों का रख–रखाव भी कर रहा था ।

### *4.1.3 संगठनात्मक संरचना*

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पूर्व छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मुख्य अभियन्ता, पूर्व क्षेत्र रायपुर भवन, सड़क एवं विद्युत यांत्रिकी कार्यों के लिए क्षेत्रीय प्रमुख थे जबकि अधीक्षण यंत्री, पुलों एवं राष्ट्रीय राजमार्गों के लिये मंडलों के प्रमुख थे । सचिव, लोक निर्माण विभाग नीति एवं कार्ययोजना गतिविधियों के लिए उत्तरदायी हैं । विभागाध्यक्ष के रूप में प्रमुख अभियंता की सहायता 3 क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं तथा 36 संभागों के कार्यपालन यंत्रियों सहित 10 अधीक्षण यंत्रियों द्वारा की जाती है ।

### *4.1.4 लेखापरीक्षा समावेशन*

दिसम्बर 2001 से मई 2002 तक मुख्य अभियन्ता, रायपुर एवं 36 में से 10 संभागों[1] (सिविल–8, वि./यां.–2) के अभिलेखों की नमूना जॉच सम्पन्न की गई थी । प्रमुख अभियंता के कार्यालय से भी जानकारी एकत्र की गई थी । 1997–2002 अवधि में अन्तर्निहित वित्तीय एवं जन–षक्ति प्रबंध, लेखाओं का संधारण और कार्यों के निष्पादन के प्रभाव की समीक्षा की गई थी ।

### *4.1.5 लक्ष्य एवं उपलब्धि*

**सड़कों एवं भवनों के निर्माण हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नही किये गये थे**

नौंवीं योजना (1997–2002) के अन्तर्गत अविभाजित मध्यप्रदेष के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये थे । 1 नवम्बर 2000 को राज्य का विभाजन हुआ था परन्तु छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा लक्ष्यों का पुनरीक्षण नहीं किया गया ।

---

[1] बिलासपुर,मनेन्द्रगढ़,अंबिकापुर,रायपुर, बीजापुर, रायगढ़, जगदलपुर, कोरबा, वि./यां. संभाग रायपुर एवं बिलासपुर ।

कुल मिलाकर, 613 में से 376 सड़कें पूर्ण की गई थीं (मार्च 2001) । 19607 ग्रामों में से 7805 ग्राम सड़क से सम्बद्ध थे । संबद्धता को सुधारने हेतु लिए गये 87 पुलों में से 45 पूर्ण किए गए थे (मार्च 2001)।

निर्माण प्रारंभ किए गए एवं पूर्ण हुए भवन कार्यों से संबंधित जानकारी विभाग के पास उपलब्ध नहीं थी ।

### *4.1.6 बजटीय नियंत्रण एवं वित्तीय प्रबंध*

मुख्य अभियन्ताओं के माध्यम से प्रमुख अभियन्ता द्वारा बजटीय नियंत्रण किया जाता है ।

### (अ) आवंटन से व्यय का आधिक्य एवं बचत

आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थी:

*(करोड़ रूपये में)*

| वर्ष | आयोजनेत्तर | | | योजनागत | | | कुल आवंटन | कुल व्यय | आवंटन से व्यय का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | आवंटन | व्यय | आधिक्य(+) बचत(–) | आवंटन | व्यय | आधिक्य(+) बचत(–) | | | |
| 1997–98 | 176.59 | 184.63 | (+)8.04 | 28.61 | 30.03 | (+)1.42 | 205.20 | 214.66 | 105 |
| 1998–99 | 92.16 | 110.70 | (+)18.54 | 26.19 | 22.47 | (–)3.72 | 118.35 | 133.17 | 158 |
| 1999–00 | 70.65 | 63.98 | (–)6.67 | 32.85 | 22.44 | (–)10.41 | 103.50 | 86.42 | 89 |
| 2000–01(अप्रैल 2000 से अक्टू 2000) | 50.28[2] | 39.74 | (–)10.54 | 13.80 | 10.81 | (–)2.99 | 64.08 | 50.55 | 32 |
| नवंबर 2000 से मार्च 2001 | 49.47 | 40.57 | (–)8.90 | 34.65 | 28.02 | (–)6.63 | 84.12 | 68.59 | 58 |
| 2001–2002 | 128.73 | 132.05 | (+)3.32 | 137.56 | 85.76 | (–)51.80 | 266.29 | 217.81 | 82 |
| **योग** | **567.88** | **571.67** | | **273.66** | **199.53** | | **841.54** | **771.02** | **92** |

उपरोक्त सारणी के विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए:

**1999–2000 तक आयोजनेत्तर आवंटन एवं व्यय में कमी हुई**

(i) 1999–2000 तक आयोजनेत्तर आवंटन एवं व्यय में निरंतर कमी हुई :

**2001–02 के दौरान 37 प्रतिषत योजनागत आवंटन अप्रयुक्त रहा**

(ii) उचित कार्य योजना और आवष्यकताओं के आकलन के बिना योजनागत आवंटन में 32.85 करोड़ रूपये (1999–2000) से 137.56 करोड़ (2001–2002) तक की सारभूत वृद्धि की गई । अतः 2001–02 के दौरान 37 प्रतिषत से अधिक योजनागत आवंटन अप्रयुक्त रहा ।

संभागों[3] की नमूना जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकट हुए :

**साख पत्र से 3.38 करोड़ रूपये अधिक के धनादेश जारी किये गये**

वर्ष 1998–2002 के दौरान साख पत्र से 3.38 करोड़ रूपये अधिक के धनादेश जारी किये गये (**परिशिष्ट ग्ग**)। अधिक व्यय की पूर्ति दूसरे शीर्षों के अंतर्गत बचतों से की गई। विभिन्न अनुदानों, शीर्षों, उप शीर्षों के अन्तर्गत भी साख पत्र से सारभूत आधिक्य एवं बचत पायी गई जो बजटीय एवं विधायी नियंत्रण का अभाव दर्शाता है ।

**आवंटन से 1.52 करोड़ रूपये अधिक के साख पत्र एवं बिना आवंटन एवं साख पत्र के 1.73 करोड़ रूपये का व्यय किया गया**

वर्ष 1998–99 के दौरान मनेन्द्रगढ़ (5.36 लाख रूपये) एवं अंबिकापुर संभाग (41.67 लाख रूपये) तथा 1998–99 एवं 2001–02 के दौरान जगदलपुर संभाग (1.05 करोड़ रूपये) में एक अनुदान के अर्न्तगत आवंटन से 1.52 करोड़ रूपये अधिक के साख पत्र जारी किये गये । वर्ष 2000–01 के दौरान

---

[2] वर्ष 2000–01 में आयोजनेत्तर एवं योजनागत के अंतर्गत आवंटन क्रमशः 86.20 करोड़ रूपये एवं 23.65 करोड़ रूपये था । लेखाओं में सात माह (अप्रैल 2000 से अक्टूबर 2000) हेतु अनुपातिक आवंटन लिया गया था ।

[3] वि./यां. संभाग रायपुर, बिलासपुर, (भ/स) संभाग बिलासपुर, मनेन्द्रगढ़, अंबिकापुर, बीजापुर, रायगढ़ जगदलपुर एवं कोरबा ।

संभाग–I, रायपुर द्वारा 1.73[4] करोड़ रूपये का व्यय आवंटन और साख पत्र के बिना किया गया था ।

### (ब) आवंटन की व्यपगतता को टालने हेतु निधियों का सिविल–जमा में स्थानांतरण

**आवंटन की व्यपगतता को टालने हेतु 9.29 करोड़ रूपये सिविल जमा में रखा गया था**

वित्त विभाग के आदेषों के आधार पर रायपुर संभाग क्रमांक–2 ने 30 मार्च, 2001 को 7.68 करोड़ रूपये आहरित कर केन्द्रीय सड़क निधि को डेबिट तथा सिविल जमा को क्रेडिट किए ।

इसी प्रकार, कार्यपालन यंत्री, संभाग क्रमांक–I, रायपुर ने आवंटन की व्यपगतता टालने हेतु संहिता के प्रावधानों के विपरीत 1.61 करोड़ रूपये '8443 सिविल जमा' के अन्तर्गत रखे (2000–01)। इस प्रकार साख पत्र के माध्यम से व्यय पर कठोर नियंत्रण का उददेष्य, व्यय के अवास्तविक लेखांकन के कारण असफल रहा ।

### (स) केन्द्रीय सड़क निधि से निधियों का गलत स्थानांतरण

केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों के चयन हेतु दिषानिर्देषों के अनुपालन में मुख्य अभियंता , रायपुर ने, नवम्बर 2000 में 13 सड़कों के सुधार हेतु 58.01 करोड़ रूपये की लागत के प्राक्कलन प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसमें रायपुर–बिलासपुर मार्ग का 5.8 कि.मी. (प्राक्कलित लागत 4.17 करोड़ रूपये) एवं रायपुर–पल्लारी–बालोदाबाजार मार्ग का 10.2 कि.मी. (प्राक्कलन लागत 1.91 करोड़ रूपये) शहरी भाग सम्मिलित था ।

लेखा परीक्षा संवीक्षा में प्रकट हुआ कि केन्द्रीय सड़क निधि को राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला सड़कों पर प्रयुक्त किया जाना था । इन दोनों मार्गों के शहरी भाग को 22 दिसंबर 2000 में नगर निगम, रायपुर को हस्तांतरित किया गया था, तथा प्रस्तावों को केन्द्रीय सड़क निधि के अर्न्तगत भारत सरकार से अनियमित रूप से अनुमोदित कराया गया (जनवरी 2001) एवं तकनीकी स्वीकृति (मार्च 2001) प्रदान की गई ।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि नगर निगम को सड़कों एवं केन्द्रीय सड़क निधि से निधियों का हस्तान्तरण शासन के निर्देशानुसार किया गया था, परन्तु षासन के आदेष अनियमित थे ।

### *4.1.7 लेखाओं के संधारण में कमियॉ*

### *(अ) राजस्व की अवास्तविक बढ़ौत्री*

**सामग्री क्रय शोधन उचन्त लेखे के अंतर्गत 83.07 लाख रूपये के गैर मिलान शेषों का अनुचित रूप से राजस्व को अंतरण किया गया**

कार्यपालन यंत्री, बिलासपुर संभाग ने अन्तरण प्रविष्टि (मई 2000) द्वारा सामग्री क्रय समाशोधन उचंत लेखे के अन्तर्गत 83.07 लाख रूपये के गैर

---

[4] अनुदान क्र. 67/2012 राजभवन कार्य 45.03 लाख रूपये
अनुदान क्र. 28/2011 राज्य विधान मंडल 53.36 लाख रूपये
अनुदान क्र. 28/2013 मंत्री परिषद 74.51 लाख रूपये
योग 172.92 लाख

मिलान योग्य जमा षेष अनियमित रूप से ''0059 लोक निर्माण राजस्व'' को अन्तरित किये गये, जो गलत था । इन गैर मिलान योग्य अवषेषों में महानिदेषक, आपूर्ति एवं निपटान एवं अन्य संभागों के माध्यम से प्राप्त सामग्री सम्मिलित थी जिसके लिए अग्रिम भुगतान पहले ही किया जा चुका था । राजस्व में 83.07 लाख रूपये की अवास्तविक बढ़ौत्री शासन को एक हानि थी क्योंकि सामग्री की वसूली नहीं हुई थी ।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, कार्यपालन यंत्री ने बताया (जनवरी 2002) कि 17 वर्षों से गैर मिलान योग्य लम्बित अवषेष को, क्रय उचन्त के षेष को कम करने की दृष्टि से राजस्व खाते में क्रेडिट किया गया था । उत्तर, नियमों के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत न आने वाली कार्यवाही को उचित ठहराने का प्रयास था।

***(ब) बंद संभागों के षेषों का लेखांकन न करना***

**प्राप्तकर्त्ता संभाग के लेखे में 15.51 करोड़ रूपये का उचंत शेष सम्मिलित नहीं किया गया था**

संभाग क्रमांक–I अंबिकापुर अप्रैल 2000 में बंद हुआ तथा कार्य का अंबिकापुर संभाग को हस्तांतरण किया गया। तथापि, बंद संभाग के उचन्त अवषेष 15.51 करोड़ रूपये (विविध लोक निर्माण अग्रिम 7.73 करोड़ रूपये, भण्डार उचन्त; 0.29 करोड़ रूपये, निक्षेप 4.04 करोड़ रूपये, सामग्री क्रय शोधन उचंत लेखा; 3.14 करोड़ रूपये एवं नकद शोधन उचंत लेखा 0.31 करोड़ रूपये) प्राप्तकर्त्ता संभाग के लेखे में सम्मिलित नहीं किये गये थे ।

**महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान के 1.80 करोड़ रूपये के दावे, 5. 50 लाख रूपये एवं 10 लाख रूपये का प्रेषण एवं धनादेश के अन्तर, प्राप्त कर्त्ता संभाग के लेखे में शामिल नही किये गये थे**

इसके अतिरिक्त, महानिदेषक, आपूर्ति एवं निपटान के 1.80 करोड़ रूपये के 104 दावे एवं दिसम्बर 1998 तक महालेखाकार को प्रस्तुत कोषालय समायोजन (प्रपत्र 51) में प्रेषण एवं धनादेष में क्रमषः 5.50 लाख रूपये एवं 10 लाख रूपये के अंतर भी प्राप्तकर्त्ता संभाग के लेखे में नहीं लिये थे । इन अवषेषों का समायोजन संदेहास्पद था क्योंकि इसके प्रारंभिक अभिलेख उपलबध नहीं थे ।

**70 लाख रूपये के भंडार शेष शामिल नही किये गये थे।**

इसी प्रकार, कोरबा संभाग को हस्तांतरित (अप्रैल 2000) 3 उप संभागों के 14.70 लाख रूपये के भंडार लेखे में सम्मिलित नहीं किये थे ।

## *(स) विविध लोक निर्माण अग्रिमों का समायोजन न किया जाना*

विविध लोक निर्माण अग्रिम लेखा एक उचन्त शीर्ष है जिसमें (i) उधार विक्रय (ii) निक्षेप निर्माण कार्यों पर जमा से अधिक व्यय (iii) हानियॉ, कटौती की त्रुटियॉ इत्यादि (iv) व्यय की अन्य मदें, जिसका विवरण ज्ञात नहीं होता हे, को रखते हें । उचन्त के त्वरित निराकरण हेतु कार्यपालन यंत्री एवं संभागीय लेखापाल उत्तरदायी होते है।

**विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत 10 संभागों में 17.04 करोड़ रूपये वसूली या समायोजन हेतु लम्बित थे**

(i) 10 संभागों के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट हुआ कि 17.04 करोड़ रूपये 50 वर्षों से लंबित पड़े थे इसमें से 1.46 करोड़ रूपये एवं 1.47 करोड़ रूपये क्रमषः कर्मचारियों एवं ठेकेदारों के विरूद्ध लंबित थे।

**मासिक लेखे में 15.31 लाख रूपये कम लेखांकन ।**

(ii) 2 संभागों[7] के मासिक लेखे में विविध लोक निर्माण अग्रिम के अंतर्गत असमायोजित अवषेष, पंजी में उपलबध विवरणों से 15.31 लाख रूपये कम था । अतः 15.31 लाख रूपये राज्य के लेखे से बाहर रह गये एवं वसूली/ समायोजन से छूट गये।

### *(द) महानिदेषक, आपूर्ति एवं निपटान के दावों के समायोजन में असाधारण विलम्ब*

**लम्बित 9.04 करोड़ रूपये में से 73.55 लाख रूपये के महालेखाकार के समायोजन ज्ञापन गुम थे ।**

8 संभागों की नमूना जॉच में प्रकट हुआ कि महालेखाकार द्वारा जारी किये गये 430 समायोजन ज्ञापन एवं 1980 एवं 1999 के मध्य महानिदेशक, आपूर्ति एवं निपटान से प्राप्त 9.04 करोड़ रूपये मूल्य की सामग्री के सत्यापन एवं लेखाओं में इनके समायोजन लम्बित थे । इनमें से 73.55 लाख रूपये के 56, महालेखाकार के समायोजन ज्ञापन मनेंद्रगढ़ संभाग में उप संभाग स्तर पर गुम थे । परिणामतः बीजक का अधिक अंकन, कम आपूर्ति, आपूर्ति का व्यपवर्तन, फर्जी दावो एवं हानियों आदि की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

### *(इ) निक्षेप लेखाओं का अनुचित संधारण*

(i) निक्षेप पंजियों का उचित संधारण एवं मासिक संवरण नहीं करने के परिणामस्वरूप संभागों को निक्षेप का वास्तविक शेष ज्ञात नहीं था । प्रतिभूति जमा की वापसी भी निक्षेप पंजी की प्रविष्ठियों से सत्यापन किये बिना की गई थी ।

**संबंधित एजेंसियों से निक्षेप से 6.22 करोड़ रूपये का अधिक व्यय वसूल नहीं किया गया था।**

(ii) षासन के पूर्व अनुमोदन के बिना 6.22[8] करोड़ रूपये का व्यय प्राप्त निक्षेप से अधिक किया गया था । आवष्यकतानुसार इस राषि को विविध लोक निर्माण अग्रिम को भी डेबिट नहीं किया तथा इसकी संबंधित एजेंसियों से वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी । इसी प्रकार, कार्यपालन यंत्री, रायगढ़ द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त 1.72 करोड़ रूपये का अधिक अंषदान जमाकर्ता एजेंसियों को वापिस नहीं किया गया था ।

### *4.1.8 जनषक्ति प्रबंध– अतिशेष अमले पर व्यय*

**1999–02 के दौरान अतिशेष अमले पर 2.77 करोड़ रूपये का व्यय किया गया**

विभाग में स्वीकृत एवं नियमित कार्यरत अमले की **परिशिष्ट–XXI** में दी गई स्थिति दर्षाता है कि पिछले तीन वर्षो के दौरान 69,258 एवं 261 कर्मचारी स्वीकृत पदों से अधिक कार्यरत थे । जहॉ तक संभव हुआ रिक्त उच्च पदों के विरूद्ध निम्न पदों वाले आधिक्य अमले के समायोजन के बाद

---

[7] क्रमषः 2.43 लाख रूपये एवं 12.88 लाख रूपये नवंबर 2001 एवं मार्च 2002 के मासिक लेखों में (वि/यां.) रायपुर और (भ/स) जगदलपुर संभागों में कम थी।

[8] बिलासपुरः 25.46 लाख रूपये, अंबिकापुरः 114.29 लाख रूपये, रायपुर क्रमांक–ए 163.32 लाख रूपये एवं रायगढ़ 318.82 लाख रूपये

वर्ष 1999–2002 के दौरान अतिशेष अमले पर 2.77 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय किया गया ।

**अतिशेष कार्यभारित एवं दैनिक वेतनभोगी अमले पर 6.84 करोड़ रूपये का व्यय किया गया**

इसी प्रकार,स्वीकृत पदों से 407 कार्य भारित, आकस्मिक कर्मचारी अधिक कार्यरत थे, परिणामतः 5.60 करोड़ रूपये का निष्फल व्यय हुआ । नियमित, कार्यभारित एवं आकस्मिक अमले के अधिक अभिनियोजन के बावजूद 137 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी कार्य पर रखा गया जिसके परिणामस्वरूप 1999–2002 के दौरान 1.24 करोड़ रूपये का निरर्थक व्यय हुआ ।

### *4.1.9 निष्पादन*

### *(i) प्रषासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य*

**6.59 करोड़ रूपये के 5 कार्य बिना प्रषासकीय अनुमोदन के प्रारंभ किए गये**

निर्माण विभाग के नियमावली के अनुसार जब तक प्रषासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती कार्य प्रारंभ नहीं किया जाना चाहिये । तथापि, 6.59 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत के पॉच कार्य प्रषासकीय अनुमोदन प्राप्त किए बिना आरम्भ किये गये थे । कार्यपालन यंत्री, अंबिकापुर द्वारा चार अन्य कार्यों हेतु 5.99 करोड़ रूपये की सक्षमता से परे तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। अन्य प्रकरण में, कार्यपालन यंत्री, जगदलपुर ने प्रषासकीय अनुमोदन के बिना 83 लाख रूपये की तकनीकी स्वीकृति दी । इसके अतिरिक्त तकनीकी स्वीकृति के बिना 7 कार्यों पर 18.94 लाख रूपये का व्यय किया गया ।

### *(ii) प्रषासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति से अधिक व्यय*

**27 कार्यों पर प्रषासकीय अनुमोदन से 5.69 करोड़ रूपये का अधिक व्यय**

27 कार्यों पर प्रशासकीय अनुमोदन से 5.69 करोड़ रूपये (131 प्रतिषत) अधिक व्यय हुआ जबकि 28 कार्यों पर तकनीकी स्वीकृति से 7.11 करोड़ रूपये (245 प्रतिषत) का अधिक व्यय हुआ । पुनरीक्षित प्रषासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त नही की गई थी ।

**4.25 करोड़ रूपये अधिक व्यय करने के उपरान्त भी 19 कार्य 3.56 करोड रूपये की आवश्यकता में अपूर्ण थे ।**

27 में से 19 कार्यों पर 2.76 करोड़ रूपये के प्रशासकीय अनुमोदन के विरूद्ध 7.01 करोड़ रूपये का व्यय किया गया । तथापि, कार्य अतिरिक्त निधि 3.56 करोड़ रूपये की आवश्यकता में 6 से 30 वर्षों से अपूर्ण थे, जिससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा हो रही थी।

### *(iii) कार्य प्रदान करने में अनियमितताएं*

कार्यपालन यंत्री, संभाग–क्रमांक–I रायपुर ने 3.67 करोड़ रूपये की लागत के दो कार्यो हेतु निविदा आमंत्रण का प्रसारण दो राष्ट्रीय समाचार पत्रों में 45 दिन के विरूद्ध मात्र दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में 25 एवं 24 दिन तक ही किया ।

**1.22 करोड़ रूपये के मूल अनुबंधों के विरूद्ध नई निविदाएँ आमंत्रित किये बिना 1.40 करोड़ रूपये के अतिरिक्त कार्य प्रदाय किये गये**

दो संभागों[5] में नई निविदाएं आमंत्रित किये बिना कुल 1.22 करोड़ रूपये के मूल अनुबंधों के विरूद्ध 13 ठेकेदारों को 1.40 करोड़ रूपये के अतिरिक्त कार्य प्रदान किये गये। यह अनियमित एवं अविवेकपूर्ण था।

पुनष्च यह दृष्टिगत हुआ कि 69.74 लाख रूपये के मूल अनुबंध के विरूद्ध 46.52 लाख रूपये का अतिरिक्त कार्य प्रदान किया गया । यह मुख्य अभियंता की वित्तीय षक्ति से अधिक था एवं मूल कार्य को समय पर पूर्ण नहीं करने हेतु ठेकेदार भी दंडित किया गया था । इस प्रकार अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति औचित्यहीन थी ।

## *(iv) कार्य का सन्देहास्पद निष्पादन*

**,सडीबीसी हेतु 3. 06 लाख रूपये का भुगतान संदेहास्पद था**

फरवरी 2002 में पूरक सूची प्रस्ताव पर जगदलपुर – कोन्टा मार्ग के नवीनीकरण हेतु विषिष्टियों के विपरीत, 25 मिली मीटर मोटी सेमी डेन्स बिटुमिनस कांक्रीट (एसडीबीसी) की मद की ठेकेदार को अनुमति दी गई । पूर्व में मार्च से जुलाई 2001 के मध्य 3.72 लाख रूपये की लागत से ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट कार्य[6] निष्पादित किया गया था। इस प्रकार एस डी बी सी द्वारा मार्ग के नवीनीकरण पर 3.06 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय अनावश्यक एवं संदेहास्पद था ।

## *(v) क्रस्ट का अनावश्यक प्रावधान*

रायपुर–पल्लारी–बलौदाबाजार सड़क के उन्नयन का कार्य 9.93 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत पर दर अनुसूची से 8.10 प्रतिषत कम पर 27 मार्च 2002 तक पूर्ण करने हेतु दिया गया । फरवरी 2002 में 13 वें चल देयक से 3.55 करोड़ रूपये कुल मूल्य के निष्पादित कार्य का भुगतान किया गया ।

**क्रस्ट के अधिक प्रावधान के फलस्वरूप 1.32 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत आई**

यह दृष्टिगत हुआ कि क्रस्ट के रूपांकन में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया था । सड़क के पहले से चौड़ीकृत भाग (कि.मी. 22 से 40 ) पर 150 मि.मी. एवं सड़क के नवीनतम चौड़ीकृत भाग (42.50 कि. मी. लंबाई) पर 175 मि. मी. की अतिरिक्त क्रस्ट का प्रावधान वांछित क्रस्ट से 432 मि.मी. अधिक था । इससे 1.32 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत आई जिसमें से 50 मि.मी. बिटुमिनस मेकाडम (बी एम) की एक मद पर पूर्व में ही ठेकेदार को 87.26 लाख रूपये भुगतान किया जा चुका है (फरवरी 2002)।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (मार्च 2002) कि आवष्यकता के अनुसार कार्य कराया गया था एवं मुख्य अभियंता द्वारा प्राक्कलन स्वीकृत किया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि कार्यपालन यंत्री द्वारा प्राक्कलन में आवश्यकता से अधिक क्रस्ट का प्रावधान किया गया था ।

---

[5] मनेन्द्रगढ़ एवं रायगढ़ संभाग

### *(vi) लीन बिटुमिनस मेकेडम के ऊपर बिटुमिनस मेकेडम बिछाने का अनावश्यक प्रावधान*

5.26 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत पर बिलासपुर –कटधोरा–अंबिकापुर मार्ग का उन्नयन कार्य दर अनुसूची से 6 प्रतिषत कम पर प्रदान किया गया (मार्च 2001) और जनवरी 2002 तक पूर्ण होना था । मार्च 2002 में 2.41 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था ।

नमूना जांच में प्रकट हुआ कि प्रोफाइल करेक्टिव कोर्स (पी सी सी ) के तौर पर प्राक्कलन में 19 एवं 40 मि.मी. के मध्य की मोटाई में 45 से 90 मि. मी. माइक्रान की गिटटी को सम्मिलित करते हुए लीन बिटूमिनस मेकाडम (एल बी एम) का प्रावधान किया गया । सड़क सतह की 40 से 75 मि.मी. की अनियमितताएँ केवल बिटुमिनस मेकाडम सामग्री के साथ पी सी सी द्वारा सुधारी जा सकती थी । इसलिये एल बी एम का प्रावधान एवं इसका 10 और 36 मि.मी. के मध्य मोटाई में निष्पादन न केवल एम ओ आर टी एन्ड एच की विषिष्टियों के विपरीत था बल्कि निष्पादन कार्य सन्देह से परे नहीं था क्योंकि 45 से 90 मि.मी. माइक्रान की श्रेणी की गिटटी से निष्पादन संभव नहीं है ।

प्राक्कलन में प्रावधानित मात्रा पर 58.41 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई जिसमें से ठेकेदार को 38.99 लाख रूपये का भुगतान पूर्व में ही हो चुका था ।

**एल बी एम एवं बी एम के अवांछनीय प्रावधान से 56.71 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई।**

पुनष्च, यदि आवष्यक हो तो सड़क की डब्ल्यू बी एम की विद्यमान क्रस्ट 440 रूपये प्रति धनमीटर की दर से ग्रेडिंग–III (53 से 22.4 मि.मी. आकार की गिटटी) की 75 मि.मी. की अतिरिक्त परत बढ़ायी जा सकती है । तथापि, यह दृष्टिगत हुआ कि डब्ल्यू बी एम सड़क के 20,000 वर्ग मी. एवं 61200 वर्ग मीटर के क्षेत्र की क्रस्ट को क्रमशः एल बी एम एवं बी एम के प्रावधान से बढ़ाया गया था । वाटर बाउंड मेकेडम सड़क के ऊपर एल बी एम एवं बी एम के प्रावधान के परिणामस्वरूप 56.71 लाख[19] रूपये की अतिरिक्त लागत आयी ।

### (vii) कार्य की अवांछनीय एवं मॅहगी विशिष्टियों का निष्पादन

**6 ग्रामीण सड़कों पर बी एम के अवांछनीय प्रावधान के परिणामस्वरूप 1.16 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत**

(अ) विषिष्टियों के अनुसार नवीनीकरण की मोटाई सामान्यतः 20 मि.मी. होना चाहिये। रायगढ़ संभाग की 12 ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण कार्य, पूर्व नवीनीकरण की तिथियों एवं वांछित क्रस्ट के अनुमान या कमियों का सत्यापन किए बिना प्रारंभ किया गया । इस प्रकार, 50 मि.मी. बी एम का

---

[19] एल बी एम की लागत 14.41 लाख रूपये एवं 93 रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 67,200 वर्ग मीटर बी.एम. की लागत (62.50 लाख रूपये) में से घटायें 440/– रूपये प्रति घन मीटर की दर से 4590 घन मीटर (61200 वर्ग मीटर) ग्रेडींग–III की लागत (22.20 लाख)।

निष्पादन अवांछनीय था । इसके अतिरिक्त नमूना जॉच की गई 6 सड़कों में 20 मि.मी. ओपन ग्रेडेड प्री–मिक्स कारपेट (ओ जी पी सी) के स्थान पर 25 मि.मी. एस डी बी सी का निष्पादन किया गया । इसके परिणामस्वरूप 1.16 करोड़ रूपये की अतिरिक्त लागत आई ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (अप्रैल 2002) कि बी एम एवं एस डी बी सी कार्य राज्य सरकार के विशेष निर्देष के अन्तर्गत किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य अवांछनीय एवं महंगी विषिष्टियों के साथ निष्पादित किये गये थे ।

**मॅहगी मुरूम के उपयोग के परिणामस्वरूप 35. 57 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत**

(ब) मुख्य अभियंता द्वारा जारी तकनीकी परिपत्र (अप्रैल 1977) के अनुसार सड़क जहॉ काली मिटटी वाली क्षेत्र से गुजरती है वहॉ शोल्डरों में 1 मीटर चौड़ाई में मुरूम का प्रावधान किया जाना था । इसके विपरीत, कार्यपालन यंत्री जगदलपुर एवं रायगढ़ ने जगदलपुर–कोन्टा सड़क (कि.मी. 15/4 से कि.मी. 54) एवं रायगढ़ संभाग की 6 ग्रामीण सड़कों की 39.60 कि.मी. की संपूर्ण लम्बाई में दोनों ओर 1.5 मीटर चौड़े हार्ड शोल्डरों के निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति दी । कार्यस्थल पर 29 रूपये प्रति घन मीटर की दर पर उपलबध सस्ती चयनित मिटटी के स्थान पर 152 रूपये प्रति घन मीटर की मुरूम से कार्य निष्पादित कराया गया । इसके परिणामस्वरूप दो संभागों में 35.57 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई ।

इंगित किये जाने पर, कार्यपालन यंत्री, जगदलपुर ने बताया (मई 2002) कि सड़क गॉवों, संरक्षित वन और घाट क्षेत्र से गुजरती थी जहॉ मिटटी उपलबध नहीं थी या खोदा जाना संभव नहीं था । कार्यपालन यंत्री, रायगढ़ ने बताया कि किनारे वाले भाग के बेहतर संधारण हेत हार्ड शोल्डरों का प्रावधान किया गया था क्योंकि विद्यमान मिटटी किनारे वाले भाग को जमाए रखने की गुणवत्ता वाली नहीं थी । उत्तर स्वीकार्य नहीं था, क्योंकि सड़क के प्रत्येक ओर को 1 मीटर की चौड़ाई में कड़ी मुरूम से भरने के प्रावधान के विपरीत 1.5 मीटर चौड़े हार्ड शोल्डरों (दोनों ओर) का निर्माण किया गया था । इसके अतिरिक्त, सड़क के तटबंध के दोनों ओर मिटटी उपलब्ध थी ।

**27 सड़क कार्य में मंहगी टैक कोट का उपयोग करने के परिणामस्वरूप 14.36 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ**

(स) कार्यपालन यंत्री, बेमेतरा एवं राजनांदगांव द्वारा 27 सड़क कार्यों के निष्पादन में बिटुमिन इम्लषन के स्थान पर मॅहगी पेविंग बिटुमिन का प्रयोग किया गया जिसके परिणामस्वरूप 14.36 लाख रूपये का अतिरिक्त व्यय हुआ ।

इसे इंगित करने पर कार्यपालन यंत्री, बेमेतरा ने बताया (मई 2002) नम सतह पर टैक कोट में बिटुमिन इम्लषन का प्रावधान था । कार्यपालन यंत्री राजनांदगांव, ने बताया (अक्टूबर 2002) कि कार्य स्वीकृत प्राक्कलनानुसार निष्पादित किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि टैक कोट में

पेविंग बिटुमिन का उपयोग एम ओ आर टी एवं एच द्वारा त्याग दिया गया है तथा दर अनुसूची (एस ओ आर) एवं प्राक्कलन में इसका प्रावधान अनावश्यक तथा विषिष्टियों के विपरीत था।

### *(viii) समय पूर्व नवीनीकरण*

**2 सड़कों के 10 कि मी का समय से पूर्व नवीनीकरण के परिणामस्वरूप 41 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत**

जहॉ ओपन ग्रेडेड प्रीमिक्स कारपेट से सड़कों का नवीनीकरण किया गया हो नवीनकरण 6 वर्ष की अवधि के पश्चात किया जाना है । यह पाया गया कि जगदलपुर–कोन्टा सड़क के 7 कि.मी. एवं बिलासपुर–कटघोरा सड़क के 3 कि.मी. का नवीनीकरण 6 माह से 5 वर्ष के अंतराल बाद किया गया । इसके परिणामस्वरूप रूपये 41 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई ।

इसे इंगित करने पर कार्यपालन यंत्री, जगदलपुर संभाग ने बताया कि ओ जी पी सी पूर्व में बिछाया गया था परंतु सड़क को राजमार्ग घोषित किया गया एवं इसलिए विषिष्टियों के अनुसार उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया था । उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजमार्गों हेतु भी ओ जी पी सी का जीवन काल छः वर्ष है ।

### *(ix) ठेकेदार को अनधिकृत सहायता*

### *(अ) कार्य का अविवेकपूर्ण निष्पादन*

**बी ओ टी के अंतर्गत निविदा वाली सड़क का पेच मरम्मत कार्य करने के फलस्वरूप ठेकेदारों को 38.25 लाख रूपये की अनधिकृत सहायता दी गई**

बी ओ टी योजना के अन्तर्गत बिलासपुर–कटघोरा–कोरबा–चांपा सड़क (151 कि.मी.) के उन्नयन हेतु 25.10 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत पर निविदाऍ सितम्बर 2001 में आमंत्रित की गईं थीं । छत्तीसगढ़ शासन द्वारा एक ठेकेदार के न्यूनतम पुनरीक्षित प्रस्ताव को 4 फरवरी 2002 को स्वीकार किया गया तथा 1.15 करोड़ रूपये में छः माह की निर्दिष्ट अवधि में कार्य पूर्ण करने हेतु सौंपा गया । यह देखा गया कि इस सड़क के कि.मी. 42 से कि.मी. 77 तक में बी टी पेंच मरम्मत कार्य नवम्बर 2001 को 17 समूहों में आमंत्रित किये गये थे एवं 7 दिसम्बर 2001को 32.82 लाख रूपये में 15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण करने हेतु सौंपा गया । जनवरी एवं फरवरी 2002 में 38.25 लाख रूपये का भुगतान किया गया था । जब सड़क पर बी ओ टी के अन्तर्गत विचार किया जा रहा था, तब हड़बड़ी में पेच मरम्मत कार्य निष्पादन के परिणामस्वरूप बी ओ टी ठेकेदार को 38.25 लाख रूपये की अनधिकृत सहायता पहुॅचाई गई ।

इसे इंगित करने पर कार्यपालन यंत्री ने बताया (मई 2002) कि बी ओ टी योजना की प्रकिया 1999 से जारी थी एवं फरवरी 2002 में अन्तिम रूप दिया गया था । चूंकि सड़क बुरी तरह खराब हो गई थी, उच्च प्राधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों के दबाव में पेच कार्य द्वारा सड़क की मरम्मत की गई थी ।

### *(ब) परफारमेंस प्रतिभूति की वसूली न होना*

**प्ररफारमेंस प्रतिभूति की कटौती न करने से 94.86 लाख रूपये की अनधिकृत सहायता दी गई**

सड़क कार्यों हेतु प्रतिशत दर निविदा के अन्तर्गत विशिष्ट शर्तें जो अनुबंध का भाग है के अनुसार ठेकेदार अपने द्वारा किये गये कार्य की 3 वर्ष तक परफारमेंस हेतु उत्तरदायी थे। बैंक गारंटी के रूप में 94.86 लाख रूपये की परफारमेंस प्रतिभूति कार्य पूर्णता की तिथि से 36 माह की अवधि हेतु ठेका राशि की 15 प्रतिशत की दर से ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत की जानी थी । ठेके की राशि का 85 प्रतिशत से अधिक का भुगतान केवल बैंक गारंटी प्राप्ति के उपरान्त ही जारी करना था । तथापि, 3 कार्यों के चल देयक से परफारमेंस प्रतिभूति की कटौती नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ठेकेदारों को 94.86 लाख[20] रूपये की अनधिकृत सहायता दी गई ।

इसे इंगित करने पर कार्यपालन यंत्री, संभाग–I रायपुर ने बताया (मई 2002) कि मुख्य अभियंता से स्पष्टीकरण प्रतीक्षित था । कार्यपालन यंत्री, जगदलपुर ने स्वीकार किया कि त्रुटिवश कटौती नहीं की गई एवं आश्वस्त किया कि आगामी चल देयकों में वसूली प्रभावित की जावेगी ।

### *4.1.10 गुणवत्ता नियंत्रण*

### *(i) जॉच प्रतिवेदन*

**जांच प्रतिवेदन के बिना ठेकेदारों को 5.70 करोड़ रूपये के अनियमित भुगतान ।**

विशिष्टियों के अनुसार कार्य हेतु भुगतान करने वाले अधिकारी को भुगतान से पहले यह सुनिश्चित करना था कि सभी जॉच परीक्षण निर्धारित आवृतियों में ठेकेदार द्वारा किये गये थे । तथापि, 5 संभागों[14] द्वारा जांच प्रतिवेदन के बिना ठेकेदारों को 5.70 करोड़ रूपये का अनियमित भुगतान किया गया । 3 संभागों द्वारा जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करने हेतु 4.46 करोड़ रूपये की लागत के कार्यों पर 1.98 लाख रूपये के नाममात्र के अर्थदण्ड की कटौती की गई, जबकि दो संभागों द्वारा 1.24 करोड़ रूपये की लागत के कार्यो पर अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गई । गुणवत्ता नियंत्रण जॉच के अभाव में कार्य अवमानक हो सकता है ।

इसे इंगित करने पर कार्यपालन यंत्रियों ने बताया कि अंतिम भुगतान से पूर्व सुधार कर लिया जावेगा ।

---

20 अनुबंध क.–52/2000–01 (कोरबा संभाग) 241.06 लाख रूपये के भुगतान में से 36.11 लाख रूपये (3/02 तक), अनुबंध क.–109/2000–01 ( रायपुर संभाग–प) 347.90 लाख रूपये के भुगतान में से 52.18 लाख रूपये, (2/2002 तक), अनुबंध कमांक 199/2001–02 (जगदलपुर संभाग) 43.79 लाख रूपये के भुगतान में से 6.57 लाख रूपये (3/2002 तक).

14 अंबिकापुर संभाग ने 0.64 लाख रूपये कटौती उपरान्त 178.38 लाख रूपये का भुगतान, रायपुर संभाग–प ने 0.6 लाख रूपये कटौती उपरान्त 94.89 लाख रूपये का भुगतान, मनेन्द्रगढ संभाग ने 0.72 लाख रूपये कटौती उपरांत 173.15 लाख रूपये का भुगतान, जगदलपुर एवं रायगढ संभागों ने कमशः 43.78 लाख एवं 8.20 लाख रूपये का बिना कटौती के भुगतान किया ।

### *(ii) अवमानक कार्य का निष्पादन*

**डामर कम उपयोग करने के परिणामतः 94.57 लाख रूपये का अवमानक कार्य**

यह पाया गया कि भिलाई तकनीकी संस्थान ने बिलासपुर–कटघोरा–अंबिकापुर सड़क पर एस डी बी सी कार्य निष्पादन हेतु मिश्रण के भार के अनुसार 6 प्रतिशत बाइन्डर बिटुमिन कन्टेन्ट का प्रावधान अनुमोदित किया था । तथापि, जांच प्रतिवेदनों में 4 से 4.33 प्रतिशत बिटुमिन का उपयोग दर्शाया गया था परिणामतः 50.21 लाख रूपये का अवमानक कार्य निष्पादित हुआ । ठेकेदार को दर अनुसूची की पूर्ण दर से भुगतान किया था ।

इसी प्रकार, 25 मि,मी, मोटे एस डी बी सी कार्य हेतु आवश्यक 995 ड्रम डामर के विरूद्ध 919 ड्रम उपयोग होना दिखाया गया था । इसके फलस्वरूप 44.36 लाख रूपये का अवमानक कार्य हुआ ।

### *(iii) सड़कों का अवमानक कार्य एवं किराए की कम वसूली*

**डब्ल्यू बी एम की आंशिक दबाई से 2.22 करोड़ रूपये का अवमानक कार्य हुआ**

3 संभागों ने 2.22 करोड़ रूपये की लागत में वाटर बाउंड मेकेडम (डब्ल्यू बी एम) नवीनीकरण एवं डामरीकरण कार्य कराया जिसकी दबाई हेतु 8–10 टन का रोलर 1229[18] दिन के लिए लगाना आवश्यक था । तथापि, वास्तव में मात्र 643 दिन तक लगाया गया। इस प्रकार, 47.68 प्रतिशत कार्य को बिना दबाये छोड़ा गया था या पूरे कार्य को अंशतः दबाया गया था ।

**कम दर लागू करने के परिणामस्वरूप 16. 07 लाख रूपये की कम वसूली हुई**

यह पाया गया कि विभाग द्वारा प्रदायित संयंत्र एवं मशीनरी के किराये की वसूली नीचे दर्शाये अनुसार अलग–अलग दरों से की गयी थी :–

| सरल कमांक | लो नि वि संभाग का नाम | कार्य की लागत (लाख रूपये में ) | वसूल किया किराया (रूपये प्रतिदिन) | कम वसूली (लाख रूपये में ) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | अंबिकापुर | 32.19 | 620 | 3.28 |
| 2 | बीजापुर | 9.37 | 650 एवं 450 | 1.27 |
| 3 | जगदलपुर | 180.65 | 620 | 11.52 |
| | **योग** | **222.21** | | **16.07** |

810 रूपये प्रतिदिन किराए भाड़ा की दर (1991) पुनरीक्षित नहीं की गयी थी, जबकि दर अनुसूची सितम्बर 1997 एवं जून 2000 में पुनरीक्षित की गई थी । इसके परिणामस्वरूप रोड रोलरों के किराए की 16.07 लाख रूपये की कम वसूली हुई ।

कार्यपालन यंत्री ने बताया (मई 2002) कि ठेकेदारों ने विशिष्टियों के अनुसार कार्य किया, क्योंकि संघनन (दबाई) कार्य निजी रोड रोलरों से भी किया गया था (अंबिकापुर–बीजापुर) । उत्तर स्वीकार्य नहीं थे, क्योंकि आंशिक रूप से दबाये गये कार्य को विशिष्टियों के अनुरूप कार्य के रूप में

[18] जगदलपुर, बीजापुर, अंबिकापुर संभागों ने 180.65 लाख रूपये, 9.37 लाख रूपये एवं 32.19 लाख रूपये के कार्य निष्पादित किए तथा 785.81 एवं 363 दिनों की वास्तविक आवश्यकता के विरूद्ध क्रमशः 470 व 47 एवं 126 दिन हेतु रोड रोलरों को प्रयुक्त किया गया था।

नही माना जा सकता । निजी रोलरों का उपयोग अभिलेख में भी नहीं था ।

### *4.1.11 सड़कों का उन्नयन एवं संधारण*

**शासन के अनुमोदन के बिना 4.50 करोड़ रूपये की लागत की 13 सड़कों का सुदृढ़ीकरण प्रारम्भ किया गया**

### *(अ) सड़कों का अव्यवस्थित सुदृढ़ीकरण*

म.प्र. शासन ने आदेशित (1988) किया कि सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण विशिष्ट अनुमोदन की प्राप्ति एवं स्थिति सर्वेक्षण के उपरान्त ही किया जाना चाहिये । , तथापि, यह देखा गया कि जगदलपुर संभाग की जगदलपुर–कोन्टा सड़क एवं रायगढ़ संभाग की 12 सड़को[9] का सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य 4.50 करोड़ रूपये की प्राक्कलित लागत पर स्थिति सर्वेक्षण एवं शासन की पूर्व अनुमति की प्राप्ति के बिना ही वार्षिक मरम्मत कार्य अनुदान के अंतर्गत लिया गया था ।

**मूलभूत आंकड़ों के बिना 15 सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु 19. 69 करोड़ रूपये के प्राक्कलन तैयार किये गये थे**

पुनश्च, 15 सड़कों के सुदृढ़ीकरण हेतु विशिष्टियों के अन्तर्गत आवश्यक परिवहन घनत्व विद्यमान क्रस्ट की मोटाई, सब–ग्रेड सामग्री के कैलिफोर्निया बीयरिंग रेशियों, भू–जल सारणी, उच्चतम बाढ़ स्तर इत्यादि के आंकड़े एकत्रित किये बिना 19.69 करोड़ रूपये की लागत के प्राक्कलन तैयार किये गये थे ।

### *(ब) सड़कों का संधारण एवं नवीनीकरण*

नवीनीकरण के लिए उपयुक्त सड़कों, साधारण मरम्मत हेतु सड़कवार निधियों का आवंटन के विवरण संधारित नहीं किये गये थे । विभाग द्वारा सड़कों के संधारण हेतु मानदण्ड निर्धारित नहीं किये गये थे । 6 संभागों[10]के अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु संभागों के अन्तर्गत सड़क की लम्बाई के अनुसार निधियां आवंटित नहीं की गई थी । पुनर्नवीनीकरण हेतु आवंटित निधियों का 1999–2001 के दौरान पांच संभागों (जगदलपुर के अतिरिक्त) द्वारा पूर्ण उपयोग नही किया गया।

**केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत 15 में से केवल 3 सड़कें पूर्ण हुई थी**

### *(स) केन्द्रीय सड़क निधि से सड़कों का उन्नयन*

एम ओ आर टी एवं एच द्वारा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग (55 कि मी) सहित 15 सड़कों (570.28 कि मी ) के उन्नयन हेतु 66.64 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई थी । यद्यपि यह कार्य अप्रैल 2002 तक पूर्ण

---

9 जगदलपुर–कोंटा (80.15 लाख रूपये) सारंगगढ़–शिवरीनारायण (28.30 लाख रूपये), सारंगगढ़–सरिया (69.74 लाख रूपये), जोबी–बरगर–दोम्मारे (22.70 लाख रूपये), रायगढ़–कोटरा–तारापुर (7.47 लाख रूपये), हटरी–चंदमारी (8.80 लाख रूपये), धरमजयगढ़–खरसिया (33.64 लाख रूपये), उड़दम्म–बिस्राम–भावन (12.69 लाख रूपये), रायगढ़–सारंगगढ़ (58.99 लाख रूपये), चपला–बयोंग–नंदेली–डभरा–बिस्पाल (50.85 लाख रूपये ), कचार–भूपदेपुर (25 लाख रूपये), खरसिया–चंदरपुर (27.66 लाख रूपये), केलो–चक्रधरनगर–रायगढ़ (23.88 लाख रूपये).

10 मनेंद्रगढ़, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, कोरबा एवं जगदलपुर संभाग

होने थे, केवल 3 कार्य (63.10 कि मी) 7.14 करोड़ रूपये की लागत से पूर्ण हुए एवं 4 कार्य[12] (232.12 कि मी) पिछड़ गये थे ।

### *4.1.12 अन्य रूचिपूर्ण बिन्दु*

**1587 कर्मचारियों के विरूद्ध 35.69 लाख रूपये के यात्रा अग्रिम तथा 14.63 लाख रूपये मूल्य के औजार एवं संयंत्र की वसूली नही की गई थी**

### *(अ) अस्थाई अग्रिम एवं औजार एवं संयंत्र के मूल्य की लम्बित वसूलियॉ*

14 संभागों की निर्माण रोकड़ पुस्तिका से 1587 कर्मचारियों को 35.69 लाख रूपये का अनियमित रूप से यात्रा अग्रिम का भुगतान किया गया तथा उप यंत्रियों को दिये गये, (पिछले 25 वर्षों से) 14.63 लाख रूपये[21] के औजार एवं संयंत्रों की कीमत वसूल नहीं की गई थी ।

**1.13 करोड़ रूपये मूल्य की सामग्री बिना उपयोग किये पड़ी थी**

### *(ब) सामग्री का अविवेकपूर्ण क्रय*

(i) 13 संभागों[23] के भंडार कार्यस्थल सामग्री लेखों एवं सड़क सामग्री विवरण लेखों में 1 से 30 वर्ष की अवधि से बिना उपयोग किये 59.20 लाख रूपये[22] की सामग्री पड़ी हुई थी । आवश्यकता के निर्धारण के बिना सामग्री क्रय करने के परिणमस्वरूप शासकीय निधियां अवरूद्ध रही ।

(ii) अंबिकापुर संभाग में 1995–99 के दौरान पहाड़ी कोरबा परियोजना के अंतर्गत पुलियों के निर्माण हेतु 1.47 करोड़ रूपये मूल्य के आर सी सी ह्यूम पाईप खरीदे गये थे जिसमें से 53.90 लाख रूपये मूल्य के पाइप अभी भी बिना उपयोग किये पड़े हुये थे ।

**बिलासपुर संभाग में 3.06 लाख रूपये के डामर का गबन किया गया**

### *(स) डामर का गबन*

कार्यपालन यंत्री, अंबिकापुर ने जून 1995 में प्रदायित 230 ड्रम डामर का मूल्य भेजने हेतु कार्यपालन यंत्री, बिलासपुर को दिनांक 25 मई 1995 का पावती सहित मांग पत्र प्रस्तुत किया (अक्टूबर 1996)। यह बिलासपुर संभाग के भंडार लेखे में दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जिसका अभिप्राय 3.06 लाख रूपये का गबन था ।

कार्यपालन यंत्री तथ्यों के सत्यापन हेतु सहमत (जनवरी 2002) हुए परन्तु अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2002)।

---

[12] गंदरी–साल्होटेकरी, सिमगा–खरोरा–रानीसागर–आरंग, बिलासपुर–कटघोरा–अंबिकापुर–राजनांदगांव–अंतागढ़ सड़के

[21] मनेंद्रगढ़ 1.94 लाख रूपये, अंबिकापुर 1.93 लाख रूपये, कोरबा 3.14 लाख रूपये, रायगढ़ 3.27 लाख रूपये एवं बीजापुर 4.35 लाख रूपये

[23] (भवन/सड़क)संभाग, मनेंद्रगढ़, अंबिकापुर, बिलासुपर, रायपुर–ए, बीजापुर, पेन्ड्रारोड, रायगढ़, कोरबा एवं जगदलपुर, (वि/यां.) संभाग बिलासपुर एवं जगदलपुर, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सेतु संभाग जगदलपुर

[22] भंडार (48.93 लाख रूपये), कार्यस्थल सामग्री लेखा (7.85 लाख रूपये) एवं सड़क सामग्री विवरण लेखा (2.42 लाख रूपये)

**सामग्री को लेखाबद्ध किये बिना 3.01 लाख रूपयों का फर्जी भुगतान किया गया**

### *(द) फर्जी भुगतान*

यह पाया गया कि संबंधित सड़क के सड़क सामग्री विवरणी लेखे में माप की प्रविष्टि किये बिना ठेकेदार को सामग्री प्रदाय हेतु 3.01 लाख रूपये का भुगतान किया गया। यह दर्शाता है कि सामग्री प्राप्त किये बिना 3.01 लाख रूपये का फर्जी भुगतान किया गया था।

## *4.1.13 विद्युत एवं यांत्रिकी शाखा द्वारा क्षमता से कम निष्पादन*

**विभाग ने संयंत्र और मशीनों के अभिनियोजन हेतु कोई कार्य योजना नहीं बनायी**

मार्च 1991 से विभागीय संयंत्र एवं मशीनों का प्रशासकीय नियंत्रण, परिचालन, मरम्मत एवं संधारण विद्युत एवं यांत्रिकी (वि/यां) शाखा को सौंपा गया था । तथापि, विभाग ने विभागीय संयंत्रों एवं मशीनों के उपयोग हेतु कोई कार्ययोजना नहीं बनाई थी ।

**3 संभागों में डीआरआर की उपयोगिता 30 प्रतिशत से कम थी परिणामतः 1.51 करोड़ रूपये की हानि हुई**

3 संभागों द्वारा डीजल रोड रोलरों (डीआरआर) की उपयोगिता संबंधी उपलब्ध कराई गई, सूचना से पाया गया कि कार्य के अभाव में 1998–2000 के दौरान कुल 41180 कार्य दिवस के विरूद्ध 20828 दिवस (50.58 प्रतिशत) डी आर आर निष्क्रिय रहे जिसके परिणामस्वरूप 1.51 करोड़ रूपये[13] की हानि हुई । डी आर आर के प्रचालन हेतु नियुक्त अमला भी निष्क्रिय रहा, इसके फलस्वरूप अवधि 1998–2002 के दौरान उसकी मजदूरी पर 42.79 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ ।

**सिविल संभागों के विरूद्ध 6.14 करोड़ रूपये का किराया भाड़ा लम्बित था**

यह भी देखा गया कि विभागीय कार्यों के लिए विद्युत/यांत्रिकी संभागों द्वारा दिये गये संयंत्र एवं मशीनों के 6.14 करोड़ रूपये किराए भाड़े की वसूली वर्ष 1991–96 के लिए सिविल संभागों के विरूद्ध लंबित थी ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विद्युत/यांत्रिकी शाखा के निरंतर अस्तित्तव की आवश्यकता की समीक्षा करना आवश्यक है ।

## *4.1.14 सड़कों एवं पुलों के निर्माण हेतु नाबार्ड[11] ऋण*

**नाबार्ड ऋण हेतु सड़कों का चयन समरूपता से नहीं किया गया था**

### *(i) सड़कों का चयन*

मात्र 5 जिलों मे 38 में से 33 सड़कों का चयन असमानुपातिक प्राथमिकता के कारणों को दर्ज किये बिना ही किया गया था ।

**बिना वन विभाग की स्वीकृति के सडक के अविवेकपूर्ण चयन के परिणामतः 28.57 लाख रूपये का निष्फल व्यय**

वन क्षेत्र से होकर गुजरने वाले पालक–भोरमदेव मार्ग के निर्माण हेतु 1997–98 के दौरान नाबार्ड द्वारा 53.35 लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया गया । वन विभाग की पूर्व स्वीकृति के बिना अविवेकपूर्ण चयन एवं कार्य प्रारंभ करने के कारण कार्य को त्यागने के परिणामस्वरूप 28.57 लाख रूपये का निष्फल व्यय हुआ ।

### *(ii) कम भौतिक एवं वित्तीय प्रगति*

**केवल 55 प्रतिशत सड़कों एवं 71 प्रतिशत पुलों के लक्ष्य पूर्ण हुए थे**

नाबार्ड द्वारा 1997–2001 के दौरान 4 चरणों में 38 सड़कें एवं 71 पुलों के निर्माण हेतु 88.62 करोड़ रूपये का ऋण स्वीकृत किया था । इनमें से 73.14 करोड़ रूपये की लागत पर स्वीकृत 33 सड़के और 62 पुल मार्च 2002

**धीमी प्रगति के कारण 15 सड़कें अपूर्ण थीं**

---

[13] अवधि वर्ष 1998–02 के दौरान मनेन्द्रगढ़, अंबिकापुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव संभागों हेतु 6454, 5587,5104 और 3683 दिन एवं कमशः 40.69 लाख रूपये, 35.17 लाख रूपये 41.70 लाख रूपये एवं 33.65 लाख रूपये की कमशःनिष्क्रिय अवधि एवं राजस्व की हानि थी ।

[11] राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक ।

तक पूर्ण किये जाने थे । तथापि, केवल 18 सड़कें एवं 44 पुल पूर्ण हुये थे ।

यद्यपि, शेष 15 सड़कों पर 8.65 करोड़ रूपये व्यय हुआ था , ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण ये अपूर्ण रहीं ।

मार्च 2002 तक हुए 66.90 करोड़ रूपये के कुल व्यय के विरूद्ध विभाग ने 57.08 करोड़ रूपये की प्रतिपूर्ति हेतु दावा किया जिसमें से केवल 41.41 करोड़ रूपये (73 प्रतिशत)की प्रतिपूर्ति हुई थी, शेष अस्वीकार्य थे ।

**27 प्रतिशत अस्वीकार्य योग्य दावों की नाबार्ड द्वारा प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी**

### *4.1.15 परिवीक्षण*

यह सुनिश्चित करने हेतु कि समय,लागत,सेवाएँ,सामाजिक एवं आर्थिक लाभों की प्राप्ति हो गई थी, इस संबंधित लक्ष्य की सुनिश्चितता हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन की परिवीक्षा की जानी थी। तथापि, विभाग द्वारा निर्माण, उन्नयन एवं सड़कों के नवीनीकरण, ग्रामों का सड़कों के साथ संयोजन इत्यादि के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये थे । प्रमुख अभियंता, रायपुर के पास भी जानकारीं उपलब्ध नहीं थीं ।

यह भी पाया गया कि 3 संभागों में 13.60 लाख की जनसंख्या (जनगणना 1991) में से 8.28 लाख जनसंख्या वाले 1968 ग्राम सड़क से संयोजित नहीं थे । 22 संभागों द्वारा संबंधित जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई।

उपरोक्त संदर्भित बिन्दु शासन को प्रतिवेदित किये गये थे (सितम्बर 2002), उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2003)।

# भाग–ख : लेखा परीक्षा प्रारूप कंडिकाएं

## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

### 4.2 नैला–जांजगीर जल प्रदाय योजना में समयपूर्व निवेश

**अन्य घटक तैयार नहीं होने से इंटकवेल, उपचार संयंत्र एवं पाईप कय पर 82.53 लाख रूपये का समयपूर्व व्यय**

मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2011 तक प्रकल्पित जनसंख्या 30,000 को 3.36 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) जल आपूर्ति की उपलब्धता हेतु 49.90 लाख रूपये की नैला–जांजगीर जल प्रदाय योजना के निर्माण का अनुमोदन किया गया (फरवरी 1994) । कार्य 3 वर्ष के विलम्ब से सितम्बर 1997 में प्रारंभ हुआ एवं कोरबा संभाग द्वारा योजना का अगस्त 1999 तक निष्पादन किया गया एवं तत्पश्चात चांपा संभाग द्वारा नगर पालिका की ओर से निक्षेप कार्य के रूप में 70 प्रतिशत ऋण एवं 30 प्रतिशत सहायक अनुदान से निष्पादित किया गया । 85.47 लाख रूपये निक्षेप (ऋणः 66.77 लाख रूपये एवं सहायक अनुदान 18.70 लाख रूपये) के विरूद्ध जनवरी 2002 तक 82. 53 लाख रूपये व्यय होने के उपरान्त भी योजना अपूर्ण थी । जनवरी 2001 से कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई इस मध्य मुख्य अभियंता ने योजना हेतु 2.

64 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की (मार्च 2000) जिसका प्रशासकीय अनुमोदन अक्टूबर 2002 में किया गया ।
अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इंटेकवेल, उपचार संयंत्र का कार्य प्रगति में था एवं पाइपों के क्रय पर 82.53 लाख रूपये का व्यय समयपूर्व था क्योंकि योजना के अन्य घटक जैसे कच्चे/स्वच्छ पानी के पम्प एवं मैन्स सर्विस रिजर्वायर्स एवं वितरण प्रणाली पर कार्य प्रारभ नहीं किया गया एवं जनता को पेयजल की सुविधा का अभाव निरंतर बना हुआ था।
कार्यपालन यंत्री ने निष्पादन एजेंसियों को अंतिम रूप देने में विलंब को स्वीकार करते हुए बताया (फरवरी 2002) कि निर्माणाधीन कार्य की लागत स्वीकृत लागत से अधिक होने एवं धन की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं होने से अन्य घटकों का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया । बजट में 2002–03 हेतु 1.75 करोड़ रूपये का प्रावधान अप्रयुक्त रहा (दिसम्बर 2002) । यह अनुचित कार्य योजना एवं अक्षम परिवीक्षण को दर्शाता है ।

प्रकरण शासन को सूचित किया गया था (अप्रैल 2002) उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था । (फरवरी 2003)

# लोक निर्माण विभाग

## 4.3 उच्च निविदा दरों एवं अवमानक कार्य की स्वीकृति

**उच्च दरों पर निविदा की अविवेकपूर्ण स्वीकृति के परिणामस्वरूप 12.55 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत एवं ठेकेदार को 6.68 लाख रूपये के अदेय लाभ के अतिरिक्त मरम्मत एवं संधारण के अवमानक कार्य पर 26. 90 लाख रूपये का परिहार्य व्यय हुआ।**

भारत सरकार 6 जनवरी 1999 की अधिसूचना द्वारा रायपुर–बिलासपुर–सांरगगढ–रायगढ़ मार्ग (300 कि मी) को राष्ट्रीय राजमार्ग–200 घोषित किया गया, इसके बाद मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग ने राष्ट्रीय राजमार्ग के हस्तांतरण के पूर्व सभी चालू कायों को पूर्ण करने के लिये अनुदेश जारी किये (जून 1999)। तथापि, मार्ग अप्रैल 2000 में ही हस्तांतरित हुआ ।
इसी मध्य कार्यपालन यंत्री, संभाग–दो, रायपुर ने रायपुर–बिलासपुर मार्ग के 12 किलोमीटर में डामरीकरण एवं नवनीकरण हेतु पांच समूहों में 98.93 लाख रूपये की प्रकल्पित लागत पर निविदाएँ आमंत्रित की (मई 1999) ।
अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण विभाग मंडल, रायपुर द्वारा 6 और 7 कि मी (समूह–I) हेतु दर अनुसूची से 9.9 प्रतिशत कम पर न्यूनतम निविदा स्वीकृत की गई (13 मई 1999) । तथापि, अन्य 4 समूहों (17 एवं 33 कि मी के मध्य) हेतु न्यूनतम निविदाएं दर अनुसूची से 19.01 से 19.79 प्रतिशत

अधिक पर 31 मई 1999 को, इस आधार पर स्वीकृत की गई कि बिलासपुर मंडल में इस मार्ग पर दर अनुसूची से 34.90 प्रतिशत अधिक का प्रचलित रूझान था । यह अन्तर औचित्यपूर्ण नहीं था क्योंकि एक पखवाड़े पूर्व ही दर अनुसूची से 9.9 प्रतिशत कम में निविदा स्वीकृत की गयी थी । उच्चतर दर के बावजूद भी कार्य को अपूर्ण छोड़ा गया एवं निविदा दरों में अन्तर के परिणामस्वरूप 12.55 लाख रूपये की अतिरिक्त लागत आई ।

जुलाई 1999 तक उपरोक्त कार्य में 46.08 लाख रूपये मूल्य का बिटूमिन मेकाडम (बी एम) कार्य निष्पादित किया गया । इसके ऊपर आवश्यकतानुसार सेमी डेन्स बिटुमिन कोर्स (एसडीबीसी) का वीयरिंग कोट या सील कोट तत्काल नहीं बिछाया गया एवं विशिष्टियों के विपरीत अपूर्ण सड़क को यातायात हेतु चालू किया गया था । इसके परिणामस्वरूप न केवल अवमानक कार्य हुआ अपितु सड़क की समयपूर्व क्षति होने के अतिरिक्त सील कोट नहीं करने के लिये ठेकेदार को 6.68 लाख रूपये का अदेय लाभ हुआ ।

परिणामतः राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, रायपुर जिसे यह सड़क हस्तान्तरित की गई थी, ने 2000–2002 के दौरान मरम्मत एवं संधारण पर 26.90 लाख रूपये का परिहार्य व्यय किया।

कार्यपालन यंत्री, ने बताया (अक्टूबर 2001) कि सक्षम प्राधिकारी (मुख्य अभियन्ता) द्वारा दरों की युक्तिसंगतता पर विचार करने के बाद निविदायें स्वीकृत की गई थी। उसने पुनश्च बताया कि बी टी कार्य वर्षा के दौरान संभव नहीं था एवं शासन ने अक्टूबर 1999 से भुगतान पर वित्तीय प्रतिबंध लगा दिया था ।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग अन्य 4 समूहों की एक समान कार्य क्षेत्र में उच्च्तर दरों की निविदा को स्वीकृत करते समय प्रथम समूह में प्राप्त न्यूनतम दरों पर विचार करने में असफल रहा । बिटुमेन मेकाडम कार्य को बीयरिंग कोट/सील कोट द्वारा नहीं ढंकनें से 26.90 लाख रूपये की समयपूर्व मरम्मत एवं संधारण की आवश्यकता हुई ।

प्रकरण शासन को जून 2002 में सूचित किया गया था उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था । (दिसम्बर 2002)

## सामान्य

### 4.4 जवाबदेही पर बल देने एवं शासकीय हितों का संरक्षण करने में वरिष्ठ कर्मचारियों की असफलता

महालेखाकार निर्धारित नियम एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेने–देन की नमूना जॉच एवं महत्वपूर्ण लेखाकरण एवं अन्य अभिलेखों के संधारण के सत्यापन हेतू शासकीय विभागों की आवधिक निरीक्षण की व्यवस्था करता है । जब महत्वपूर्ण अनियमितताएँ पायी जाती हैं एवं स्थल पर निराकरण नहीं हो पाता तो निर्धारित नियम एवं प्रक्रियाओं के अनुपालन में सुधारात्मक कार्यवाई सुनिश्चित करने हेतु महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये जाते हैं । कार्यालय प्रमुखों एवं आगे भी उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों

में निहित अभ्युक्तियों का अनुपालन एवं त्रुटियों एवं चूकों का त्वरित सुधार कर इसका अनुपालन महालेखाकार को सूचित करना आवश्यक है । महालेखाकार द्वारा गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को भी कार्यालय प्रमुखों के ध्यान में लाया जाता है । लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों के परिवीक्षण में सुगमता हेतु विभाग के प्रधान सचिव/सचिव को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का एक अर्धवार्षिक प्रतिवेदन भेजा जाता है।

छत्तीसगढ़ शासन के अर्न्तगत जल संसाधन, लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं वन विभागों के 203 संभागों/कार्यालयों से संबंधित दिसम्बर 2001 तक जारी निरीक्षण प्रतिवेदन से प्रकट होता है कि 1990–91 से जून 2002 के अंत तक 1282 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित 5523 कंडिकाएं लंबित हैं । विभागवार लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:

| सरल कमांक | विभाग | निरीक्षण प्रतिवेदन की संख्या | कंडिकाओं की संख्या | लेखापरीक्षा इकाइयों की संख्या | राशि (करोड़ रूपये में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | जल संसाधन विभाग | 541 | 2290 | 79 | 761.71 |
| 2 | लोक निर्माण विभाग | 283 | 1578 | 42 | 524.45 |
| 3 | लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 205 | 812 | 26 | 317.11 |
| 4 | वन | 253 | 843 | 56 | 123.98 |
| | **योग** | **1282** | **5523** | **203** | **1727.25** |

इसमें से, 550 कंडिकाओं से सन्निहित 101 निरीक्षण प्रतिवेदन का निराकरण 10 से भी अधिक वर्षों से नहीं किया गया था । दिसम्बर 2001 तक जारी किये गये 66 संभागों/कार्यालयों हेतु 67 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं 452 कंडिकाओं के प्रारंभिक उत्तर जिनके जारी होने के दिनांक से छः सप्ताह के भीतर कार्यालय प्रमुखों से प्राप्त हो जाने चाहिए थे, जून 2002 तक प्राप्त नहीं हुए थे ।

विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों, जिन्हें अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदनों के माध्यम से स्थिति सूचित की गई थी ने भी विभाग के संबंधित कार्यालयों की त्वरित एवं सामयिक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की ।

दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाई न होने से गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की सुगमता में निरन्तरता रही एवं शासन को हानि हुई, यद्यपि इनहें लेखा परीक्षा में इंगित किया गया था । यह अनुशंसा की जाती है कि विभाग में लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों का समुचित उत्तर देना सुनिश्चित करने एवं हानि/लंबित अग्रिमों/अधिक भुगतानों की एक समयबद्ध तरीके से वसूली की कार्यवाही का पुनः परीक्षण करना चाहिए ।